

# भागलपुर समाहरणालय

(जिला सामान्य शाखा)


## आदेश

जिला दंडाधिकारी, भागलपुर के आदेश दिनांक-31.07.2019 के आलोक में निम्नांकित शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी/उत्तराधिकारी के अनुरोध पर उनके नाम से निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति को शस्त्र अधिनियम-1959 की धारा-17(4) एवं 17 (3) (a) एवं आयुध नियम-2016 की धारा 47 (1) तथा The Arms Rules 1959 के नियम 5 (a), (b) के अन्तर्गत तत्कालिक प्रभाव से रद्द करते हुए धारित शस्त्र को संबंधित थाना के शस्त्रागार/अधिकृत शस्त्र प्रतिष्ठान में जमा/बिक्री करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र०	अनुज्ञप्तिधारी का नाम व पता	शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या	शस्त्र का प्रकार	धारित क्षेत्र	रद्द करने का कारण
1.	श्री ओम प्रकाश साह, पिता-श्री विशन साह, सा०-हसनगंज, पो०-मिरजानहाट, थाना-बबरगंज जिला-भागलपुर	2075-80/1986	डी०बी०बी०एल०	बिहार	मृत
2.	विन्ध्याचल सिंह, सा०-हरपुर, थाना-शाहकुंड, जिला-भागलपुर।	76-06/1973	डी०बी०बी०एल०	बिहार	मृत
3.	श्री हेमन्त कुमार तिवारी, शाखा, प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, जे०एल०एन०एम०सी०एच०, भागलपुर।	2366-16/1999	डी०बी०बी०एल०	बिहार	अनुपयोग
4.	श्री विश्वनाथ प्रसाद, पिता-रामअवतार प्रसाद, राजीव नगर पटना।	2761-5/2005	रिवाल्वर	बिहार	वृद्ध
5.	डॉ० चन्द्रशेखर शाह, पिता-श्री रीछपाल शाह, सा०-मशाकचक, थाना-कोतवाली, जिला- भागलपुर।	2371-20/1999	रिवाल्वर	बिहार	वृद्ध
6.	डा० अंजनी कुमार चौधरी, पिता-श्री बनारसी प्रसाद चौधरी, सा०-सिधिया मकन्दपुर, थाना- गोपालपुर, जिला-भागलपुर।	262-15/2001	रिवाल्वर	बिहार	वृद्ध, बीमार
7.	श्री सीधेश्वर मंडल, पिता-स्व० लखी प्रसाद, सा०-कबीरपुर रोड, थाना-नाथनगर, जिला-भागलपुर।	155/2002 BGP OD-14/2010	रिवाल्वर	बिहार	मृत


उपरोक्त अनुज्ञप्तिधारी/उत्तराधिकारी को निदेश है कि शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द के पूर्व कैंसिलेशन शुल्क 500/- रु० चलान बैंक के माध्यम से जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

तत्पश्चात् संबंधित शस्त्र को थाना के शस्त्रागार/अधिकृत शस्त्र प्रतिष्ठान में जमा/बिक्री कर कार्यालय में मूल अनुज्ञप्ति एवं रसीद की छायाप्रति जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

  
अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच  
-सह-प्रभारी पदाधिकारी,  
जिला सामान्य शाखा, भागलपुर।

ज्ञापांक : 14-21/2018-19/...1889.../सा०, भागलपुर, दिनांक...3.../...8.../2019

- प्रतिलिपि :- सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी/उत्तराधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि :- सभी सरकारी अधिकृत शस्त्र प्रतिष्ठान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि :- सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भागलपुर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि :- वरीय पुलिस अधीक्षक, भागलपुर/पुलिस अधीक्षक, नवगछिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।  
प्रतिलिपि :- डी०आई०ओ०, भागलपुर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि जिले की वेब साईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।  
प्रतिलिपि :- सभी जिला दण्डाधिकारी, बिहार राज्य को सूचनार्थ समर्पित।

  
अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच  
-सह- प्रभारी पदाधिकारी,  
जिला सामान्य शाखा, भागलपुर।